

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अर्द्धयक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4577/2018/ग्वालियर/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 9-7-2018 पारित  
अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 590/16-17/अपील.

परविन्दर कौर पुत्री केसरसिंह  
पत्नी हरविन्दर गिल, निवासी रायरु  
तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदिका

विरुद्ध

1. दिनेश सिंह चौहान पुत्र जय सिंह चौहान  
निवासी रामदास घाटी,  
शिन्दे की छावनी, लश्कर
2. मंजोत उर्फ मंजीत कौर  
पत्नी देवेन्द्रजीत सिंह
3. किरण पुत्री त्रिजेन्द्रसिंह  
निवासी फ्लेट नं. 403  
भठ कॉम्पलेक्स रोड  
टिंगर नगर रोड, पुणे महाराष्ट्र
4. केसरसिंह पुत्र फुम्मन सिंह
5. एकमसिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह ना.बा.  
सरपरस्त बाबा केसरसिंह  
निवासी रायरु  
तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी एवं

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण, आवेदिका

श्री सौरभ कुमार जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

श्री एम.एल. बंसल, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 व 3

श्री सी.एस. भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 4 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/5/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, गवालियर संभाग, गवालियर द्वारा पारित दिनांक 9-7-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा ग्राम रायरु की नामांतरण पंजी क्रमांक 62/6-8-1983 में पारित आदेश दिनांक 17-9-1983 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गवालियर के समक्ष विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 व संहिता की धारा 32 संहित प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/2016-17/अपील पंजीबद्ध कर दिनांक 7-3-17 को आदेश पारित कर आवेदिका को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए विलम्ब क्षमा किया गया एवं गुण-दोष पर आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर, पंजी पर पारित बटवारा आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त, गवालियर संभाग, गवालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9-7-2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. इस प्रकरण में विवादित भूमि के मूल भूमि स्वामी फुम्मन सिंह थे, उनकी मृत्यु के बाद फुम्मन सिंह के स्थान पर उनकी पत्नी गुरदीप कौर तथा पुत्र केसर सिंह का नामांतरण समान भाग पर हो गया था। इस न्यायालय के समक्ष गुरदीप कौर के भाग की कृषि भूमि का विवाद है।

2. गुरदीप कौर की मृत्यु दिनांक 20.05.1980 को हो गई थी, गुरदीप कौर ने कोई वसीयतनामा नहीं किया था, परंतु मृत्यु के चार दिन पूर्व दिनांक 16.05.1980 को तथाकथित रूप से निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण पंजी पर त्रिजेन्द्रजीत सिंह, देवेन्द्रजीत सिंह पुत्रगण केसर सिंह एवं प्रीतम कौर पत्नी केशर सिंह का नामांतरण प्रमाणित किया।

3. प्रथम विवादित प्रश्न यह है कि क्या वसीयत के आधार पर नामांतरण पंजी पर नामांतरण की कार्यवाही एवं नामांतरण आदेशित किया जा सकता है? इस संबंध में आवेदिका का तर्क है कि वसीयतनामा साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में बिना किसी साक्ष्य के

(2/2)

गुरदीप कौर द्वारा तथाकथित रूप से किये गये वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण पंजी पर नामांतरण प्रमाणित किया गया है, जो आरंभतः ही शून्य है।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार किसी भी वसीयतनामे को चाहे वह पंजीकृत ही क्यों न हो, न्यायालय में साक्ष्य द्वारा शंका से परे सिद्ध व प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। 1990 आर.एन. 28 तथा 169, 1991 आर.एन. 391, 1989 आर.एन. 269, 1984 आर.एन. 44 आदि में यह अभिधारित किया गया है कि वसीयतनामे को न्यायालय में साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है।

5. किसी भी वसीयतनामे को तभी प्रमाणित माना जा सकता है, जब वसीयत के साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता हो कि वसीयतकर्ता ने उनके समक्ष वसीयतनामे पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का चिन्ह लगाया हो तथा साक्षीगण ने वसीयतकर्ता के उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हों, इस बिंदु पर ए.आई.आर. 1964 सुप्रीम कोर्ट 529, ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 74, ए.आई.आर. 1982 सुप्रीम कोर्ट 133 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

6. आवेदिका के उपरोक्त तर्क एवं संदर्भित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तथाकथित वसीयत के आधार पर किया गया नामांतरण अवैध एवं विचाराधिकार रहित था। अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये थे, जिन पर न तो विचार किया गया और ना ही आवेदिका द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों की आदेश में कोई विवेचना की गई है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि उनके समक्ष जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये जायें, उन्हें अमान्य करने का कारण आदेश में लिखा जाये।

7. अनावेदकगण की ओर से यह आपत्ति करते हुये आधार लिया गया है कि पंजी पर किये गये नामांतरण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम निगरानी अत्यंत समयवाधित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1959 सुप्रीम कोर्ट 340 में विधि स्थापित की है कि जब कोई कार्यवाही अथवा आदेश विचाराधिकार रहित हो, तब ऐसी कार्यवाही अथवा आदेश को आक्षेपित करने में एवं उसे वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष चुनौती देने में समयावधि की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। पंजी पर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामांतरण विचाराधिकार शून्य था। अतः ऐसे नामांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका की अपील को तथरों की विवेचना करने के पश्चात अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुये अपील को समयावधि में होना मान्य किया था। इस संबंध में 1982 आर.एन. 417 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

8. आवेदिका का अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तर्क था कि वह अपने पति के साथ विदेश में रहती है। वर्ष में एक-दो बार अपने पिता के पास आती थी। पिता की वृद्धावस्था होने पर जब

आवेदिका ने पैतृक सम्पत्ति एवं भूमि के संबंध में जानकारी एकत्रित की तब आवेदिका की जानकारी में आया कि तथाकथित वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण कराया गया है एवं बटवारा किया गया है। अधिक छानबीन करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि आवेदिका की माँ की मृत्यु के बाद आवेदिका को अंधकार में रखकर नामांतरण किया गया।

9. द्वितीय विचार योग्य प्रश्न यह है कि गुरदीप कौर के वसीयतनामे के आधार पर त्रिजेन्द्रजीत, देवेन्द्रजीत पुत्रगण केसर सिंह एवं प्रीतम कौर पत्नी केसर सिंह का नामांतरण किया गया था। प्रीतम कौर की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से पृथक जाकर प्रीतम कौर के दोनों पुत्रों का नामांतरण अवैध रूप से किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(ए) के अनुसार प्रीतम कौर के स्थान पर उनके पुत्रों के साथ ही प्रीतम कौर के पति केसर सिंह तथा उनकी पुत्री, आवेदिका परविन्दर कौर का भी नामांतरण किया जाना चाहिए था।

10. अपर आयुक्त ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(ए) के प्रावधान को देखे बिना वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किये गये संशोधन को आधार बनाकर आवेदिका को अपील करने का अधिकार न होना मानने में गंभीर भूल की है। किसी हिंदू महिला की मृत्यु होने पर उसके पति एवं पुत्री को भी उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

11. अपर आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के जिस न्याय दृष्टांत का उल्लेख अपने आदेश में किया है, वह न्याय दृष्टांत 2005 में किये गये संशोधन से संबंधित है। वर्ष 2005 में पुत्री को भी पुत्र के समान पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया था। उत्तराधिकार की विधि 1956 से ही प्रभावशील है।

12. तृतीय बिंदु यह है कि प्रीतम कौर के पति एवं पुत्री को पृथक कर केवल पुत्रों के नाम किया नामांतरण विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत था। ऐसे नामांतरण से प्रीतम कौर के पुत्रों को प्रीतम कौर की समस्त भूमि पर कोई वैधानिक स्वत्व प्राप्त नहीं हुये थे। परिणामतः मंजीत कौर पत्नी त्रिजेन्द्रजीत सिंह एवं किरण पुत्री त्रिजेन्द्रजीत द्वारा किये गये अंतरण अधिकारिता रहित है। ऐसे अंतरणों से क्रेताओं को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुये हैं। जब अंतरणकर्ताओं के पास ही अंतरण योग्य स्वत्व एवं अधिकार न हों, तब क्रेताओं को कोई स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत 1977 आर.एन. 416 एवं राजस्व मण्डल के न्याय दृष्टांत 1984 आर.एन. 180 एवं 1982 आर.एन. 432 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

13. चतुर्थ बिंदु नामांतरण पंजी पर किये गये बंटवारे का है। 1995 आर.एन. 27, 1994 आर.एन. 102 तथा 302 में राजस्व मण्डल द्वारा अभिधारित किया गया है कि कृषि खातों का बंटवारा संहिता

की धारा 178 तथा धारा 178 के अंतर्गत निर्मित नियमों का पालन करते हुये ही किया जा सकता है।

14. इस प्रकरण में दिनांक 17.09.1983 को नामांतरण पंजी पर किया गया बंटवारा संहिता की धारा 178 तथा उपरोक्त न्याय वृष्टांतों के प्रकाश में अवैध एवं विचाराधिकार रहित कार्यवाही तथा आदेश होने से उसे अपास्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई वैधानिक भूल नहीं की थी, पंजी पर किया गया बंटवारा विचाराधिकार रहित था। अपर आयुक्त ने नामांतरण पंजी पर किये गये बंटवारे को भी वैध मानने में भी गंभीर वैधानिक भूल की है।

15. विवादित नामांतरण एवं बंटवारे के बाद भूमि का विक्रय किया गया। जहां तक प्रकरण क्र. 4574/2018 के अनावेदक दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा का प्रश्न है, गुरुद्वारे के हित में कोई भी विक्रय पत्र अथवा अंतरण का दस्तावेज नहीं है। गुरुद्वारे की ओर से तर्क है कि उनके जत्तेदार जसवंत सिंह के नाम से भूमि क्रय की गई थी। इस तर्क से यह भी प्रमाणित है कि उनके जत्तेदार जसवंत सिंह के नाम से भूमि क्रय की गई थी। इस तर्क से यह भी प्रमाणित है स्वत्व का तथाकथित अंतरण जसवंत सिंह के हित में हुआ था, गुरुद्वारे के हित में नहीं। इस कारण दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे का नामांतरण किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारे के हित में कोई दस्तावेज नहीं है।

16. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है क्रेता जसवंत सिंह ने क्रय की गई भूमि का विक्रय पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 4578 के अनावेदक दिनेश सिंह के हित में कर दिया था। इस कारण भी अब गुरुद्वारे का कोई हित अथवा अधिकार नहीं रह गया है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1995 में प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका एवं मंजीत द्वारा जसवंत सिंह को विक्रय की गई थी, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अंकित हुआ और अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि जसवंत सिंह से क्रय की गई है। इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 के हित निहित हैं, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे बिना पक्षकार बनाये, सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि भूमिस्वामी गुरदीप कौर की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र केसर सिंह के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित हुआ है, उक्त नामांतरण आदेश को आवेदिका द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए आवेदिका को अनुविभागीय अधिकारी

(62)

के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार आवेदिका मृतक भूमिस्वामी गुरदीप कौर की वारिस नहीं है, जिस पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार आवेदिका को न तो वर्ष 1983 में हुए बटवारे को चुनौती देने का अधिकार है और न ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के परन्तुक में सन् 2005 के पूर्व हुए संव्यवहारों को चुनौती देने का अधिकार है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है। यह भी कहा गया कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि गुरदीप कौर की मृत्यु उपरांत प्रश्नाधीन भूमि तेजेन्दर सिंह, देवेन्दर सिंह और प्रीतम कौर को प्राप्त होना आवेदिका द्वारा स्वीकार किया गया। यह भी कहा गया कि प्रीतम कौर की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि का नामांतरण उसके दोनों पुत्रों तेजेन्दर सिंह एवं देवेन्दर सिंह के नाम किया गया है और उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से भूमि विक्रय की जा चुकी है। जिसके आधार पर क्रेताओं के नाम भूमिस्वामी की हैसियत से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त तथ्य की जानकारी आवेदिका को प्रारंभ से ही रही है। तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व खसरों में वादग्रस्त भूमि के क्रेताओं का नाम भूमिस्वामियों के रूप में अंकित होकर आधिपत्यधारी हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने इस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमिस्वामियों (क्रेताओं) को पक्षकार बनाये बिना उक्त अपील विचारण योग्य नहीं थी, इसके बावजूद अपील स्वीकार कर त्रुटि की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार वर्ष के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी हिन्दू की मृत्यु होने पर पुत्रियों को अधिकार किया गया है तथा धारा 6 के प्रावधान के अनुसार इस उप धारा में समाहित कुछ भी सम्पत्ति के किसी भी व्ययन को अन्य संक्रामण जिसमें कोई भी बंटवारा या वसीयत व्ययन सम्मिलित है, जो 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व किये जा चुके थे, को प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगा। उक्त नामांकन वर्ष 1987 का है, जिसे चुनौती देने का अधिकार आवेदिका को नहीं है। इस

तर्क के समर्थन में 2016(2) एस.सी.सी. पृष्ठ 36 (उच्चतम न्यायालय) एवं 2009(3) जे.एल.जे. पृष्ठ 84 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं। यह भी कहा गया कि वर्ष 1987 में नामांकन के आधार पर सम्पत्ति का विक्रय भी हो चुका है। उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करने में ब्रुटि की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि तेजेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती मंजीत कौर उर्फ मंजोत राँय का विवाह तेजेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई देवेन्द्र सिंह से हुआ। आवेदिका एवं उसके पिता केसर सिंह व देवेन्द्र सिंह के द्वारा भूमि को विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस कारण मंजीत कौर उर्फ मंजोत राँय द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है, जिसमें आवेदिका एवं केसर सिंह व देवेन्द्र सिंह ने अपना प्रतिवाद पत्र दिनांक 23.07.2014 को प्रस्तुत करते समय उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए बटवारे को मानकर लेख किया गया कि तेजेन्द्रसिंह को जो भूमि प्राप्त हुई थी, वह उसने विक्रय कर दी। उक्त बटवारे को स्वीकार किए जाने से आवेदिका प्रतिबंधित है, इसलिए उसे अपील करने का अधिकार नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की जानकारी में उपरोक्त नामांकन एवं बंटवारा वर्ष 2014 के पूर्व से था और उसे स्वीकृत था, तब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा आज यह कहना कि उसे जानकारी 15.09.2016 को हुई स्वीकार योग्य नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदिका स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आई है, झूठ बोलकर न्यायालय में आई और लगभग 30 वर्ष का विलंब गलत रूप से प्रथम अपीलय न्यायालय ने क्षमा किया था। इस कारण द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से निर्णय पारित किया है, निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है। इस तर्क के समर्थन में 2014(4)एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 1 एवं 2015(3) एम.पी.एल.जे. 705 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए। अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त का आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5/ अनावेदक क्रमांक 4 व 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उनके पूर्वजों के भूमिस्वामी स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर, उन्हें हिस्से पर प्राप्त हुई है। इस आधार पर कहा गया कि पूर्वजों से हिस्से में प्राप्त भूमि पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूलतः तहसील न्यायालय के तीन आदेशों को चुनौती दी गई है। एक ही भूमि से संबंधित होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने तीनों प्रकरणों में एक ही

८  
१

आदेश किया है। अतः तीनों मूल आदेशों का निगरानी में इसी आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

पंजी क्र. 40 पर प्रीतम कौर की मृत्यु उपरांत तहसील न्यायालय द्वारा वारिसान हक के आधार पर त्रिजेन्द्र तथा देवेन्द्र के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित किए हैं, जबकि प्रीतम कौर के पति केसर सिंह तथा पुत्री परविंदर कौर भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वर्ग एक के वारिस थे, किन्तु उन्हें न तो सुना गया और न ही उनका वारिसान होने के नाते नामांतरण किया गया। उल्लेखनीय है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रारंभ से ही पुत्रियों को पुत्र के समान हक दिये गये हैं। स्पष्टतः उक्त नामांतरण अवैध होकर निरस्ती योग्य है।

पंजी क्र. 36 पर दिनांक 24.06.1980 को गुरदीप की भूमि पर वसीयत के आधार पर त्रिजेन्द्र, देवेन्द्र तथा प्रीतम का नाम अंकित हुआ है लेकिन तत्समय भी सभी वारिसों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। आवेदिका की इस आपत्ति में भी बल है कि पंजी पर वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसीयत को गवाहों से प्रमाणित कराना होता है, जबकि इस प्रकरण में तो कथित मूल वसीयत किसी भी स्तर पर पेश भी नहीं हुई। जहां तक उक्त नामांतरण को आवेदिका के चुनौती देने के अधिकार का प्रश्न है, आवेदिका गुरदीप के पुत्र केसर की पुत्री है तथा यदि वसीयत प्रमाणित नहीं होती तो विरासत हक में गुरदीप की संपत्ति केसर को प्राप्त होगी, जिसमें केसर के लिए यह पैतृक संपत्ति होने के नाते केसर की पुत्री होने से परविंदर को उक्त संपत्ति में जन्म से हक प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि वसीयत को प्रमाणित न करने के अभाव में आवेदिका के हक प्रमाणित हुए हैं। अतः उस नामांतरण को भी स्थिर नहीं रखा जा सकता।

जहां तक पंजी क्र. 62 पर दिनांक 17.09.1983 को बंटवारे का प्रश्न है, जैसा कि उपर विवेचना की गई है कि मूल नामांतरण दिनांक 24.06.1980 ही अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य है, ऐसी स्थिति में उस नामांतरण के बाद हुई पश्चातवर्ती सभी कार्यवाहियां वैधानिक नहीं मानी जा सकतीं तथा मूल कार्यवाही में ही आवेदिका के हक प्रमाणित होने से पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में भी उनके हक प्रमाणित होते हैं। अतः उक्त नामांतरण को भी स्थिर रखा जा सकता। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने उपरोक्त विधिक स्थिति पर विचार नहीं किया है। अतः उनका आदेश दिनांक 09.07.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त भूमियों पर बाद में हुए क्रय विक्रय से संबंधित अन्य प्रकरण भी लगे हैं। पश्चातवर्ती कार्यवाहियां होने से उनके नामांतरण भी उक्त आदेश के प्रकाश में निरस्ती योग्य है। अतः यह आदेश भी सभी प्रकरणों में लागू होगा।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, गवालियर संभाग, गवालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2018 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
गवालियर